UPPG180005102010

<u>Original Suit/65/2010</u>

<u>न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), कुण्डा, प्रतापगढ़।</u>

कमला देवी बनाम राम आसरे आदि।

<u>दिनांक–01.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार कराने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हो।

<u>लंच उपरान्त</u>

पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हुई। पुकार कराने पर पक्षकार अनुपस्थित। अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई पेशियों से पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे है। अंतिम तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। उभयपक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को वाद चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः पक्षकारों की अनुपस्थिति में वर्तमान वाद अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

हस्तगत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रशांत सिंह)

<u>दिनांक–01.07.2026</u>

सिविल जज (अवर खण्ड),
कुण्डा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by PRASHANT SINGH
Date: 2026.07.07 12:20:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court